

प्रेस नोट दिनांक 14.07.2022

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 टायरा चैसिस नं0 फर्जी जिसमें खदान चावल के 537 कट्टे प्लास्टिक के भरे हुए

बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी तीतरों के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.07.2022 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभि० कामिल पुत्र जमील निवासी ग्राम गुर्जरपुर ऊदपुर थाना झिझाना जनपद शामली को एक अदद ट्रक 10 टायरा टाटा क० रजि० नं० PB03AZ- 3157 चै० न० MAT4480375FK66217 फर्जी जिसमें खदान चावल के 537 कट्टे प्लास्टिक के भरे हुए सहित सहित पुलिस चौकी बोलपुर के सामने रोड पर बैरियर के पास से समय करीब 16:15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना तीतरों पर मु०अ०स० 76/2022 धारा 420 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कामिल पुत्र जमील निवासी ग्राम गुर्जरपुर ऊदपुर थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद ट्रक 10 टायरा टाटा क० रजि० नं० PB03AZ- 3157 चै० न० MAT4480375FK66217 फर्जी जिसमें खदान चावल के 537 कट्टे प्लास्टिक के भरे हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- (1) उ०नि० श्री नरेश सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर।
- (2) का. 540 कमल कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर।
- (3) का. 2535 यशपाल सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर।
- (4) का. 2335 हरेन्द्र सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर।



प्रेस नोट थाना नानौता जिला सहारनपुर

दिनांक 14.07.2022

श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2022 श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नानौता पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त रोहित पुत्र भूरा निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 178/22 धारा 452/354क भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट को समय 21.20 बजे प्राईमरी स्कूल खुडाना के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसको आवश्यक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता

रोहित पुत्र भूरा निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जिला सहारनपुर



गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी ,
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार ,
3. का0 609 विपिन शर्मा ।

प्रेस नोट दिनांक 14.07.2022

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अन्तर्गत श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर के उ०नि० श्री के०पी० सिंह मय हमराहीयान द्वारा मु०अ०सं०- 187/22 धारा 307 भादवि में वाञ्छित चल रहे अभियुक्त भोला पुत्र मदनलाल निवासी धोबीघाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त भोला उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डन्डा बरामद किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता-

भोला पुत्र मदनलाल निवासी धोबीघाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

हमले में प्रयुक्त एक अदद डन्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ०नि० के०पी० सिंह थाना मण्डी, सहारनपुर।

2-है०का० 114 गजेन्द्र थाना मण्डी, सहारनपुर।

3-का० 960 सोनू थाना मण्डी, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 14.07.2022

**थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में से वांछित अभि०
को किया गिरफ्तार:-**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज चौधरी थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ पर पंजीकृत मु०अ०स० 174/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभि० अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र राजपाल निवासी हाऊस न० 161 ब्लाक 11 सी०पी० डब्लू, डी० कालोनी अलीगंज लोधी रोड नई दिल्ली को आज दिनांक 14.07.2022 को बुग्गावाला तिराहे से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभि० को मा०न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता-

अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र राजपाल निवासी हाऊस न० 161 ब्लाक 11 सी०पी० डब्लू, डी० कालोनी अलीगंज लोधी रोड नई दिल्ली ।

प्रेस नोट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर दिनांक 14.07.2022

आज दिनांक 14.07.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में दिनांक 20.03.22 व दिनांक 21.03.22 को हुई चौरा के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अस0 142/22 धारा 380/411 भादवि व मु0अस0 143/22 धारा 380/411 भादवि व मु0अस0 144/22 धारा 380/411 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना इकराम पुत्र जरीफ नि0 शेखपुरा कदमी थाना कोतवाली देहात स0पुर आदि 05 नफर अभिगण प्रकाश में आये। जिसमें शासन के आदेशानुसार दिनांक 14.07.22 को मु0अस0 301/22 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट बनाम इकराम पुत्र जरीफ नि0 शेखपुरा कदमी थाना कोतवाली देहात स0पुर आदि 05 कार्यावही की गयी। उ0नि0 प्रमोद कुमार चौकी इन्चार्ज शेखपुरा मय फोर्स के मु0अस0 301/21 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट में फरार चल रहे वांछित अभि0 इकराम उपरोक्त को ग्राम दादा पीर शेखपुरा कदीम के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अभिरक्षा में जिला कारागार में भेजा गया।

अभियुक्त:-

इकराम पुत्र जरीफ नि0 शेखपुरा कदमी थाना कोतवाली देहात स0पुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अस0 142/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर
2. मु0अस0 143/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर
3. मु0अस0 145/22 धारा 413/414 भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर

गिर0 करने वाली टीम टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार चाहल थाना को0देहात, स0पुर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना को0 देहात, स0पुर
3. का0 74 रोहित थाना को0देहात स0पुर
4. का0 1612 अंकित थाना को0देहात स0पुर

प्रेस नोट दिनांक 14/07/2022

थाना देवबंद पुलिस द्वारा अवैध असलहाकारतूस/ सहित -अभियुक्त गिरफ्तार: 01

दिनांक 13-07-22 को थाना देवबंद पुलिस द्वारा साखन नहर के पास कब्रिस्तान के सामने से अभि 0शिवांग चौधरी पुत्र ललित चौधरी निवासी चंदेनाकोली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर को 01 बोर मय 315 अदद तमन्चा 01मिस कारतूस बोर सहित गिरफ्तार किया गया 315। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु 0सं0अ0473/22 धारा 3/ 25आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ सहित -अभियुक्त गिरफ्तार: 01

दिनांक 13-07-22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा जंगल ग्राम डालेवाला से अभि 0जुनैद पुत्र लियाकत निवासी चाउसहसपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को 5 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु 0सं0अ0285/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।